

परिशिष्ट-15

लिफाफों का विवरण जो मतदान दलों को तैयार करने हैं

(अ) प्रत्येक मतदान अधिकारी द्वारा प्रत्येक चुनाव के पृथक्-पृथक् तैयार किये जाने वाले लिफाफे :-  
(बूथवार)

क्र.स.	केवल पंच चुनाव से संबंधित	केवल सरपंच चुनाव से संबंधित	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित	केवल जिला परिषद सदस्य चुनाव से संबंधित
	<u>जो सील करने है :-</u>	<u>जो सील करने है</u>	<u>जो सील करने है</u>	<u>जो सील करने है</u>
1.	अप्रयुक्त मतपत्र (पंच) P-4	1. अप्रयुक्त मतपत्र (सरपंच) P-3	1. अप्रयुक्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) P-24	1. अप्रयुक्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) P-25
2.	चिन्हित मतदाता सूची (पंच) P-5	2. चिन्हित मतदाता सूची (पंच) P-6	2. चिन्हित मतदाता सूची (पं.स. सदस्य) P-26	2. चिन्हित मतदाता सूची (जि.प. सदस्य) P-27
3.	खराब व रद्द मतपत्र (पंच) नियम 42 P-13	3. खराब व रद्द मतपत्र (सरपंच) नियम 42 P-12	3. खराब व रद्द मतपत्र (पं.स. सदस्य) नियम 42 P-14	3. खराब व रद्द मतपत्र (जि.प. सदस्य) नियम 42 P-15
4.	निविदत्त मतपत्र व सूची (पंच) P-16	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (सरपंच) P-17	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (पं.स. सदस्य) P-18	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (जि.प. सदस्य) P-19
			<u>जो सील नहीं करने है :-</u>	<u>जो सील नहीं करने है :-</u>
			6. मतपत्र लेखा (पं.स.सदस्य) P-30	6. मतपत्र लेखा (जि.प.सदस्य) P-31

(ब) मतदान अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्य लिफाफे:-  
(बूथवार-लिफाफे)

पंच व सरपंच चुनाव

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य चुनाव  
दोनों के लिये एक-एक

(सील नहीं करने हैं)

1. महिला / पुरुष वार सांख्यिकी आंकड़ों का फार्म (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) P-2
2. पिक पेपर सील का लेखा एवं मतदान अधिकारी की घोषणा (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) P-32
3. मतदान अधिकारी की डायरी (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) P-38  
[पं.स./जि.प. सदस्य चुनावों में प्रत्येक के मतपत्र लेखा प्रपत्र की अतिरिक्त 1-1 प्रतियां सहित]
4. विविध कागजात - P-39  
(पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य)  
मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणाएँ व उनकी सूची; अप्रयुक्त पेपर सीलेंय मतदान अभिकर्ता - नियुक्ति के फार्म, कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां आदि

नोट:- पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् के निर्वाचन से संबंधित उपरोक्त मद सं. (अ) तथा (ब) में बताये गये सभी बूथवार 16 लिफाफे (यानि P-24, 26, 14, 18, 22, 25, 27, 15, 19, 23, 30, 31, 2, 32, 38 एवं 39) तैयार किये जाकर जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन वाली मतपेटी के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मतदान समाप्ति के बाद संभला दिया जाये। पंच/सरपंच से संबंधित लिफाफे पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी को संभला दिये जायें।

(स) रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच) द्वारा तैयार किये जाने वाले लिफाफे:-

1. निम्न कागजात का बड़ा लिफाफा

(जो सील नहीं करना है) P-1

प्रति पंचायत-1

- (i) नामनिर्देशन-पत्र एवं संबद्ध कागजात (पंच) सभी वार्डों के
- (ii) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (पंच) सभी वार्डों की
- (iii) नामनिर्देशन-पत्र एवं संबद्ध कागजात (सरपंच)



- (iv) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची  
(v) मतदाताओं की आयुसंबंधी घोषणाये व उनकी सूची  
(vi) मतदान अभिकर्ता व गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के उपयोग में लाये गये फार्म  
(vii) कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां अन्य कागजात
2. चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपों का बड़ा लिफाफा :- (सील नहीं करना है) P-7 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
3. वैध मत-पत्र (सरपंच) (सील करना है) P-8 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
4. वैध मत-पत्र (पंच) (सील करना है) P-9 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-5  
5. मतगणना में खारिज मतपत्र (सरपंच) (सील करना है) P-28 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
6. मतगणना में खारिज मतपत्र (पंच) (सील करना है) P-29 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
7. पंच/सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े (सील नहीं होगा) P-10 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
a. सांख्यिकीय फार्म-पंच  
b. सांख्यिकीय फार्म-सरपंच  
c. बूथवार - मतदान के आंकड़े (महिला-पुरुष वार)  
8. लिफाफा (परिणाम पत्र) [नोट:- पंच व सरपंच के आंकड़ों के तीनों फार्म पृथक काउंटर पर जमा कराये या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्देशों के अनुसार जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से शीघ्र पहुँचा देंगे।] (सील नहीं होगा) P-11 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
9. प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जप्त राशि (सील नहीं होगा) P-42 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
10. लिफाफा जिसमें निम्न कागज होंगे- (सील नहीं होगा) P-33 प्रति रिटर्निंग अधिकारी-1  
(1) पंच/सरपंच चुनाव संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा  
(2) अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें  
(3) शेष फार्म  
11. डाक के लिफाफे-  
परिणाम पत्र भेजने हेतु  
उपसरपंच चुनाव के लिफाफे  
(यदि उपसरपंच चुनाव कराने के निर्देश दिये जाते हैं तो उपयोग करने हैं)  
12. वैध-अवैध मतपत्र (सील करना है) (P-40)  
13. उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड (सील करना है) (P-41)